राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बाल विकास विशेषज्ञ एवं समर्थन व्यक्ति के पैनल निर्माण हेतु सामान्य दिशा निर्देश

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन अधिसूचित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 के नियम 85 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012 के नियम 3 के प्रत्येक जिले में स्थापित जिला बाल संरक्षण इकाई स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, बाल विकास विशेषज्ञों एवं समर्थन व्यक्ति के पैनल का रजिस्टर तैयार किया जाना है।

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ (नैदानिक मनोवैज्ञानिक (Clinical Psychologist), पुनर्वास मनोवैज्ञानिक (Rehabilitation Psychologist), पुनर्वास परामर्शदाता (Rehabilitation Counsellor), मनःसामाजिक कार्यकर्ता (Psychiatric-Social Worker), परामर्शदाता (Counsellor)) एवं बाल विकास विशेषज्ञ (दुभाषिया (Translator)/अनुवादक (Interpreter), विशेष शिक्षक (Special Educator)) तथा समर्थन व्यक्ति (Support Person) द्वारा उक्त वर्णित अधिनियमों के अंतर्गत विधि से संघर्षरत बच्चों, देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं पीडित बच्चों के प्रकरणों में बच्चों एवं संबंधित प्राधिकरणों यथा–पुलिस, न्यायालय एवं अन्य बाल संरक्षण घटकों को विचारण पूर्व एवं विचारण के दौरान सहयोग करने के लिए निर्धारित भूमिका का निर्वहन किया जायेगा। उक्त मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों एवं बाल विकास विशेषज्ञों द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 39 के तहत् राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञों एवं पेशेवरों के लिए जारी दिशा–निर्देशों की पालना की जायेगी।

क.स.	विवरण	
1	**मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ (Mental Health Expert)**	
1.1	**नैदानिक मनोवैज्ञानिक (Clinical Psychologist)**	
	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान विषय में पी.एच.डी यां एम.फिल. की नियमित डिग्री
	पंजीयन	भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली या

Scanned by CamScanner

		केन्द्र/राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीयन
	अनुभव	कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव।
	अथवा	
	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान विषय में पी.एच.डी या एम.फिल. की नियमित डिग्री
	अनुभव	कम से कम 05 वर्ष का कार्यानुभव।
1.2	**पुनर्वास मनोवैज्ञानिक (Rehabilitation Psychologist)**	
	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में नियमित स्नातकोत्तर की डिग्री
		भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली से अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र
	पंजीयन	भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली या केन्द्र/राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीयन
	अनुभव	कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव
	अथवा	
	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री
	अनुभव	परामर्शदाता के रूप में कम से कम 05 वर्ष का कार्यानुभव
1.3	**मनःसामाजिक कार्यकर्ता (Psychiatric-Social Worker)**	
	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री
		भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली से अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कोई डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र
	पंजीयन (वैकल्पिक)	भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली या केन्द्र/राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीयन।
	अनुभव	कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव।
	अथवा	
	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री
	अनुभव	बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का कार्यानुभव।

Scanned by CamScanner

1.4	**पुनर्वास परामर्शदाता (Rehabilitation Counsellor)**	
	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान विषय में नियमित स्नातकोत्तर की डिग्री
		भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली से अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र।
	पंजीयन	भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली या केन्द्र/राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीयन।
	अनुभव (वैकल्पिक)	कम से कम 03 वर्ष का कार्यानुभव।
1.5	**परामर्शदाता (Psychologist/Counsellor)**	
	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान विषय में नियमित स्नातकोत्तर की डिग्री
		भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली से अनुमोदित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/किसी पंजीकृत संस्थान से काउन्सलिंग मे डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र
	अनुभव	कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव।
	अथवा	
	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री
		किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/किसी पंजीकृत संस्थान से काउन्सलिंग/मानसिक विकास में डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र
	अनुभव	बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 07 वर्ष का कार्यानुभव।
2	**बाल विकास विशेषज्ञ (Child Development Expert)**	
2.1	**दुभाषिया (Translator)/अनुवादक (Interpreter)**	
	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शैक्षिक संस्थान से किसी क्षेत्रीय भाषा में डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र या
		किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री रखने वाले संबंधित राज्य के निवासी जिनकी प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा में हुई हो एवं वह राजस्थान में राजकीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत या सेवानिवृत। भाषा–बांग्ला, उडिया, कन्नड, असमिया, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, मराठी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली एवं ढूंढाड़ी, वांगड,

Scanned by CamScanner

		मारवाडी।
2.2	**विशेष शिक्षक (Special Educator)**	
	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्पेशल बी.एड. डिग्री या भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित विकलांगता (मूक बधिर/ अंध/मंदबुद्धि) के क्षेत्र में कोई डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र
	पंजीयन	भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली या केन्द्र/राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीयन।
	अनुभव	कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव।
3	**समर्थन व्यक्ति (Support Person)**	
	शैक्षणिक योग्यता	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मानव विकास या मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री
	अनुभव	बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्ष का कार्यानुभव।
	अथवा	
	शैक्षणिक योग्यता	जिला बाल संरक्षण इकाई में नियुक्त निम्न पदाधिकारी प्रोटेक्शन ऑफिसर परामर्शदाता
	अनुभव	बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 01 वर्ष का कार्यानुभव।

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बाल विकास विशेषज्ञ एवं समर्थन व्यक्ति के लिए अन्य अपेक्षित सामान्य अहर्ताएं–

1. आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु दिनांक 01 जनवरी, 2019 को न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 65 वर्ष होगी।
2. सामान्य कम्प्यूटर ज्ञान तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. कोई भी व्यक्ति विषय विशेषज्ञ के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है।
4. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे–
   i. प्रासंगिक शैक्षणिक डिग्री की प्रति।
   ii. 10 वीं कक्षा की अंकतालिका की प्रति।
   iii. भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली अथवा केन्द्र/राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति। (यदि लागू हो)
   iv. कार्यानुभव प्रमाण पत्र की प्रति।

Scanned by CamScanner

v. निवास के पते की पुष्टि हेतु पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेन्स/आधार कार्ड इत्यादि की प्रति।

vi. सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (किन्हीं राजकीय अथवा गैर राजकीय संस्थान में कार्य करने की स्थिति में)

vii. मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं होने के संबंध में नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र।

5. चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला नवीनतम चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें, जोकि 06 माह से अधिक पुराना न हो।

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बाल विकास विशेषज्ञ एवं समर्थन व्यक्ति के चयन के लिए राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के स्तर पर निम्नानुसार चयन प्रक्रिया रहेगी–

1. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी द्वारा प्राप्त आवेदनों में से योग्यताधारी आवेदकों के चिन्हीकरण के उपरान्त विशेषज्ञतावार चयन हेतु राज्य स्तर पर चयन समिति का गठन किया जायेगा।
2. चयन समिति द्वारा योग्य विशेषज्ञों/व्यक्तियों का चयन कर जिलेवार विशेषज्ञता के आधार पर चयनित व्यक्तियों का पैनल राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी को प्रस्तुत किया जायेगा।
3. राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी के स्तर पर योग्य विशेषज्ञों/व्यक्तियों का चयन किया जायेगा। योग्य व्यक्तियों के चयन करने के संबंध में अंतिम निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी का होगा।
4. प्रत्येक जिला स्तरीय पैनल में 01 विशेषज्ञता पर अधिकतम 15 विशेषज्ञों/व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जा सकेगा।
5. जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा जिला स्तरीय पैनल में चयनित किये जाने वाले विशेषज्ञों/व्यक्तियों को किसी प्रकार की नियुक्ति पर नहीं रखा जायेगा, अपेक्षानुसार विजिटिंग बेसिस पर उनकी सेवाएं ली जायेगी।
6. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, बाल विकास विशेषज्ञों एवं समर्थन व्यक्तियों को उनकी सेवाओं के पेटे समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विजिटिंग बेसिस पर निर्धारित मानदेय/फीस का भुगतान किया जायेगा।

उक्तानुसार वर्णित मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, बाल विकास विशेषज्ञ एवं समर्थन व्यक्ति के जिलेवार पैनल तैयार किये जाने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से योग्य विशेषज्ञों/व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये आमंत्रित किये जाते है। योग्य विशेषज्ञों/व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन दिनांक 25 जून, 2019 तक कार्यालय, राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी (बाल अधिकारिता विभाग,

Scanned by CamScanner

राजस्थान), 20/198, कावेरी पथ, सैक्टर–2, के.एल.सैनी स्टेडियम के पास, मानसरोवर, जयपुर में जमा करवाया जा सकता है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Scanned by CamScanner

सेवामें,

श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी,
बाल अधिकारिता विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

आवेदक का नवीनतम फोटो

विषयः— मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ/बाल विकास विशेषज्ञ/समर्थन व्यक्ति के रूप में चयन हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक.......................... दिनांक.............. के क्रम में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, बाल विकास विशेषज्ञ एवं समर्थन व्यक्ति के पैनल के लिए मेरे द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा हैः—

1.	**आवेदक का नाम**	
2.	**पिता/पति का नाम**	
3.	**जन्म तिथि**	
4.	**ई—मेल एवं मोबाईल. नम्बर**	
5.	**निवास का पूर्ण पता (स्थाई एवं वर्तमान)**	
6.	**वर्तमान व्यवसाय/कार्य**	
7.	**विशेषज्ञता का नाम** नैदानिक मनोवैज्ञानिक (Clinical Psychologist)	

Scanned by CamScanner

	पुनर्वास मनोवैज्ञानिक (Rehabilitation Psychologist) पुनर्वास परामर्शदाता (Rehabilitation Counsellor) मनःसामाजिक कार्यकर्ता (Psychiatric-Social Worker) परामर्शदाता (Psychologist/Counsellor) दुभाषिया (Translator)/अनुवादक (Interpreter) विशेष शिक्षक (Special Educator) समर्थन व्यक्ति (Support Person) (विशेषज्ञता का नाम जिस हेतु आवेदक द्वारा पैनल में जुडने की अभिरूचि व्यक्त की गई है) **नोट** – 01 से अधिक विशेषज्ञता के लिए भी 01 ही आवेदन पर्याप्त होगा।	
8.	**आवेदक राज्य के किन–किन जिलों में अपनी सेवाऐं देने को इच्छुक है।** (अधिकतम प्राथमिकता के 03 जिलों के नाम अंकित करें)	
9.	**दिशा–निर्देशों में अंकित शैक्षणिक अर्हताओं में कौन–सी अर्हता रखते है, का विवरण देवें।** (पुष्टि हेतु 10 वीं की अंकतालिका एवं प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यताओं / डिग्री / डिप्लोमा / प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)	
10.	**आवेदनकर्ता द्वारा धारित अनुभव का विवरण** (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)	
11.	**भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली अथवा केन्द्र / राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीयन संख्या (यदि लागू हो)**	

Scanned by CamScanner

12.	आवेदक को उल्लेखनीय कार्य के लिए प्राप्त सम्मान पदक, प्रमाण पत्र आदि यदि कोई हो, का पूर्ण विवरण देवें। (पुष्टि हेतु सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें।)	
13.	क्या आवेदक का मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का कोई पिछला रिकॉर्ड है? (उत्तर हां/नहीं में देवें, यदि हां तो पूर्ण विवरण लिखें।)	

संलग्नकों की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें –

1. **जन्मतिथि प्रमाण हेतु** – 10 वीं की अंकतालिका।
2. **आवेदक की फोटो** – आवेदन पत्र में आवेदक की नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकावें।
3. **शैक्षणिक व अन्य योग्यता प्रमाण हेतु** – समस्त शैक्षणिक योग्यताओं/डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र।
4. **कार्यानुभव प्रमाण हेतु** – संबंधित संस्थान/एजेन्सी द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण पत्र।
5. **पंजीयन प्रमाण हेतु** – भारतीय पुनर्वास परिषद (आर.सी.आई.), नई दिल्ली अथवा केन्द्र/राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में पंजीयन के प्रमाण पत्र।
6. **अनापत्ति प्रमाण हेतु** – सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (राजकीय अथवा गैर राजकीय संस्थान में कार्य करने की स्थिति में)।
7. **निवास के पते की पुष्टि हेतु** – पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेन्स/आधार कार्ड इत्यादि की प्रति।
8. **चरित्र सत्यापन प्रमाण हेतु** – चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु पुलिस विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला नवीनतम चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें, जोकि 06 माह से अधिक पुराना न हो।
9. **शपथ पत्र हेतु** – बिन्दु संख्या 13 के लिए नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।

उक्त आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचना पूर्ण एवं सही है तथा मेरे द्वारा कोई जानकारी गलत प्रस्तुत नहीं की गयी है।

दिनांक ....

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner